# <u>अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) की समस्याएं व समाधान!</u>

अन्य पिछड़ा वर्ग के 'आरक्षण नियम', छात्रवृत्तियॉ, जाति प्रमाण–पत्र', 'क्रीमीलेयर–मापदंड' तथा विभिन्न आदेशों संबंधी समस्यायें व उनके समाधान इस प्रकार हैं।

## (अ) <u>भारत (केन्द्र) सरकार की सुविधायें</u>:–

(1) भारत सरकार ने समस्त केन्द्रीय पदों जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस., बैंक, रेलवे, बीमा, सार्वजनिक उपक्रमों इत्यादि में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये दिनॉकः 08–09–1993 से 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया है।

(2) अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण की आवश्यकता इसलिये पड़ी क्योंकि आरक्षण लागू होने से पूर्व उक्त केन्द्रीय पदों, जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस., बैंक, रेलवे, इत्यादि में उनके केवल 5 प्रतिशत उम्मीदवार चयनित होते थे।

(3) केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदंडो (आदेश दिनॉकः 08–09–1993) के तहत् केवल निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री क्रीमीलेयर में आते है–

(i) अतिविशिष्ट व्यक्ति– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि।

(ii) केन्द्र या राज्य के शासकीय या सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों में–

(क) माता–पिता में से कोई एक सीधी भर्ती व्दारा प्रथम श्रेणी अधिकारी,

(ख) माता–पिता 'दोनों' सीधी भर्ती व्दारा व्दितीय श्रेणी अधिकारी,

(ग) पिता सीधे व्दितीय श्रेणी अधिकारी, परन्तु 40 वर्ष की आयु के पूर्व प्रथम श्रेणी में पदोन्नत।

(iii) मिलेट्री में कर्नल या उससे उपर के स्तर के अधिकारी।

(iv) व्यापार, उद्योग और व्यवसाय में लगे ऐसे माता–पिता जिनकी केवल व्यापार, उद्योग और व्यवसाय (वेतन व कृषि आय को छोड़कर) से वार्षिक आय पिछले लगातार 3 वर्षों से 4.50 लाख रुपये से अधिक हो।

(v) कृषि भूमि स्वामियों (किसान) में ऐसे परिवार जिनके पास (क) सीलिंग लिमिट के 85 प्रतिशत से अधिक 'सिंचित' भूमि हो। (ख) कितनी भी असिंचित भूमि हो तो उम्मीदवार क्रीमीलेयर में नहीं आएगा।

(vi) वेतन एवं कृषि आय को छोड़कर माता–पिता की कुल वार्षिक आय पिछले लगातार तीन वर्षों से 4.50 लाख रुपये से अधिक हो।

टीप– नियम क्रमॉक **(iv)** एवं **(vi)** में वार्षिक आय की सीमा बढ़ाकर 4.50 लाख रुपये की गई। (आदेश दिनॉकः 14–10–2008)

<u>भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय व्दारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण (आदेश दिनॉकः 14–10–2004)</u>–

(क) <u>*किसी उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिए आय/सम्पत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय को नहीं गिना जाएगा।*</u> इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी उम्मीदवार के माता–पिता के वेतन से होने वाली आय 4.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो, कृषि भूमि से होने वाली आय 4.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो किन्तु अन्य श्रोतों (व्यापार) से होने वाली आय 4.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम हो तो भी आय के आधार पर उम्मीदवार को सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) नहीं माना जायेगा व आरक्षण की पात्रता रहेगी।

(ख) उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के दर्जे का निर्धारण उसके माता–पिता के दर्जे के आधार पर किया जावेगा न कि उसकी अपनी स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नि की हैसियत अथवा आय के आधार पर।

(4) संसद व्दारा पारित व राष्ट्रपति एवं सर्वोच्च न्यायालय व्दारा अनुमोदित "केन्द्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006" (भारत के राजपत्र दिनॉक 04.01.2007 में प्रकाशित) से अन्य पिछड़ा वर्ग को आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी. (ए.आई.ई.ई.ई.), एम्स, कृषि व मेडिकल महाविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों इत्यादि में स्नातक, स्नातकोत्तर (पी.जी.) तथा पी.एच.डी. के प्रवेश में 27 प्रतिशत आरक्षण, प्रदान किया गया है। सामान्य सीटें यथावत रखने हेतु *प्रत्येक संस्थान में 54 प्रतिशत सीटें बढाई जावेंगी व इन 154 सीटों का 27 प्रतिशत अर्थात ओबीसी को 42 सीटें आरक्षण सें मिलेगी। उदाहरणः– 07 आई.आई.टी. की 7000 सीटें बढ़कर 10800 हो जावेंगी व उनका 27 प्रतिशत अर्थात 3000 सीटें ओबीसी हेतु आरक्षित रहेंगी।* विश्व–प्रसिध्द प्रजातंत्र के 800 विव्दान सांसदों (जिनमें उच्च वर्ग भी हैं) व्दारा बगैर सामान्य सीटें कम किये, ओ.बी.सी. के शैक्षणिक उत्थान हेतु की गई यह पहल प्रशंसनीय है।

(5) सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार नियुक्तियों व प्रवेश में योग्यता अर्थात प्राप्तांको के आधार पर अनारक्षित सीटों में चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को अनारक्षित सीटों में ही गिना जावेगा, उन्हें उनके लिये आरक्षित स्थानों में नहीं गिना जावेगा, <u>*भले ही उन्होंने सीट आवंटन आरक्षित सीटों में क्यों न लिया हो।*</u> तभी आरक्षण का लाभ अनारक्षित सीटों के अंतिम उम्मीदवार से कम प्राप्तांक वाले और उम्मीदवारों को मिलेगा। व्दि या त्रिस्तरीय परीक्षाओं में यही नियम प्रत्येक स्तर की चयन सूची बनाने में भी लागू होगा।

**DECISION OF SUPREME COURT (www.supremecourtofindia.nic.in) CASE NO.: Appeal (civil) 5505 of 2003,**

**PETITIONER: Union of India & Anr RESPONDENT: Satya Prakash & Ors JUDGMENT DT. 05/04/2006-**

**"This position has been made crystal clear in Ritesh R. Sah (supra) as referred to above that while a reserved category candidate entitled to admission on the basis of his merit, will have the option (preference) of taking admission in the college where specified number of seats have been kept reserved for reserved category but while computing the percentage of reservation he will be deemed to have been admitted as an open category candidate and not as a reserved category candidate."**

(6) योग्यता के आधार पर अनारक्षित सीटों में चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को भविष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (जिसमें उनका जन्म हुआ है) के आधार पर मिलने वाली समस्त सुविधायें जैसे आरक्षण, छात्रवृत्ति, फीस माफी इत्यादि की पात्रता बनी रहती है।

(7) <u>केन्द्रीय पदों या प्रवेश, जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस., बैंक, रेलवे, आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी. (ए.आई.ई.ई.ई.), एम्स, कृषि, मेडिकल महाविद्यालयों तथा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों इत्यादि में आरक्षण प्राप्त करने के लिये भारत सरकार की दिनॉक 10 सितम्बर 1993 को पृथक से जारी जातियों की केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग सूची के आधार पर केन्द्रीय प्रारुप (हर रोजगार समाचार में उपलब्ध) में पृथक जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य की कई जातियॉ केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल नहीं होने व कई स्थानों पर राज्य व केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदंडो में भिन्नता होने से इसमें राज्यों के आरक्षण हेतु जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं हैं।</u>

(8) केन्द्रीय प्रारुप में अन्य पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण देने के लिये तहसीलदार या कार्यपालिक दंडाधिकारी अर्थात नायब तहसीलदार भी प्राधिकृत हैं। राज्य की तरह अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.एम.) का प्रमाणीकरण अनिवार्य नहीं है।

*(9) राज्य या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल से 80% से अधिक अंक लेकर कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने वाले, क्रीमीलेयर में नहीं आने वाले 82000 (41000 छात्र, 41000 छात्राएं) प्रतिभावान छात्र–छात्राओं की महाविद्यालयीन/विश्वविद्यालयीन शिक्षा हेतु प्रथम 3 वर्ष 1000 रुपये प्रति माह तथा आगामी 2 वर्ष 2000 रुपये प्रति माह की सेन्ट्रल सेक्टर छात्रवृत्तियॉ प्रारंभ की गई हैं। जिसमें राज्यवार कोटा आवंटित है। वेतनभोगियों का केवल मूल वेतन गिना जावेगा।*

(10) उच्चप्रतिभावान छात्र–छात्राओं को शोध/वैज्ञानिक क्षेत्रों में आकर्षित करने उनकी बी.एस.सी., बी.एस.सी. (ऑनर्स), एम.एस.सी. शिक्षा हेतु 80000 रुपये प्रति वर्ष की 10000 इन्सपायर छात्रवृत्तियॉ प्रारंभ की गई हैं।

(11) माता–पिता की आय 1.50 लाख रुपये वार्षिक से कम वाले 1,00,000 प्रतिभावान छात्र–छात्राओं की कक्षा 9 वीं से 12 वीं की शिक्षा हेतु चयन परीक्षा के आधार पर 6000 रुपये वार्षिक की मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्तियॉ प्रारंभ की गई हैं।

**अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण नियम, क्रीमीलेयर मापदंड, क्रीमीलेयर स्पष्टीकरण, रु. 4.50 लाख आदेश, जातियों की केन्द्रीय सूची, केन्द्रीय जाति प्रमाण पत्र, आवेदन पत्र, छात्रवृत्तियों हेतु वेबसाइट www.obcguru.com देखें।**

काउन्सलिंग या साक्षात्कार हेतु मांगे गए प्रारुपों में ही समस्त प्रमाण–पत्र आदि सूक्ष्मतापूर्वक तैयार कर प्रस्तुत करें।

## (ब) मध्यप्रदेश शासन की सुविधायें:–

(1) मध्यप्रदेश शासन की समस्त नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 14 प्रतिशत आरक्षण लागू है।

(2) मध्यप्रदेश शासन ने इस 14 प्रतिशत आरक्षण हेतु भारत सरकार के दिनॉकः 08–09–1993 को जारी केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदंडों को ही यथावत मान्य किया था। (आदेश दिनॉकः 08–03–1994) जिनमें बाद में निम्नलिखित संशोधन किये गए।

(क) नियम क्रमॉक (vi) में वार्षिक आय की सीमा 4.50 लाख रुपये की गई। (आदेश दिः 28–07–2006 में मान्यता के स्थाई निर्देश)

(ख) नियम क्रमॉक (v) में कृषकों की क्रीमीलेयर पहचान 'धारित कृषि भूमि' के स्थान पर परिवार की कुल वार्षिक आय से करने का प्रावधान किया गया। (आदेश दिनॉकः 25–02–2003)

(3) जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्रों को तहसीलों में पंजीकृत करना संबधित राजस्व अधिकारी के लिये अनिवार्यता है।

(4) जाति प्रमाण पत्र के आवेदन पत्रों पर कोर्ट फीस स्टाम्प नहीं लगाना है तथा शपथ–पत्र सादे कागज पर ही प्रस्तुत करना है।

(5) जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु 1984 के पूर्व का लिखित रिकार्ड जैसे रजिस्ट्री–पट्टा इत्यादि मांगने पर 11.07.2005 से रोक है।

(6) तहसीलों में जाति प्रमाण पत्र देने के लिये कर्मचारियों की क्रीमीलेयर जॉच वेतन की आय से की जा रही है जबकि उनकी जॉच 'धारित–पद' से करना है। जाति प्रमाण पत्र लेने के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के प्रारुप में 'वेतन की आय' दर्शाने हेतु कोई कॉलम ही नहीं है। 4.50 लाख रु. की सीमा केवल व्यापार की आय हेतु है।

(7) भेदभाव रोकने 'आरक्षित' वर्ग के अधिकारियों को चयन परीक्षाओं में सदस्य रखना है। 'आरक्षित' व 'अनारक्षित' श्रेणी के उम्मीदवारों को अलग अलग सीरीज़ के बजाय मिश्रित रोलनम्बर देना है।

(8) मध्यप्रदेश की शासकीय या अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में बी.एस.सी., एम.एस.सी. इत्यादि में भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 14 प्रतिशत आरक्षण लागू है। जिसके लिये क्रीमीलेयर मापदंड उपरोक्तानुसार ही हैं पृथक से कोई आय सीमा नहीं है।

(9) प्राधिकृत अधिकारी व्दारा जारी जाति प्रमाण पत्र सभी विभागों में मान्य है। क्रीमीलेयर जॉच हेतु काउन्सलिंगकर्ता प्राधिकृत नहीं हैं।

(10) भर्ती के विज्ञापनों इत्यादि में 'सामान्य–वर्ग' शब्द लिखने पर शासन की रोक है इसे 'अनारक्षित' लिखना है क्योंकि ये सीटें प्राप्ताकों के आधार पर आरक्षित वर्ग के लिये भी खुली सीटें हैं।

(11) मुख्य सचिव व्दारा हस्ताक्षरित परिपत्रानुसार *"अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों में उदारता एवं सद्भावनापूर्वक कार्यवाही करना है। गलतियॉ करने पर सर्वप्रथम उन्हें समझाइश देना है फिर भी सुधार न हो तो चेतावनी देना है। उनके विरुध्द अनुशासनात्मक कार्यवाही या गोपनीय प्रतिवेदनों में प्रतिकूल टिप्पणियॉ कोई ठोस आधार हो तो ही पूर्ण विचारोपरांत करना है। उन्हें प्रशासनिक आधार पर बार–बार स्थानांतरित नहीं करना है। उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर भी पदस्थ करना है।"*

(12) आरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को आरक्षण अधिनियम क्रमांक 10 सन् 2002 के तहत् एक वर्ष का कारावास तथा दो हजार रुपये अर्थदंड का प्रावधान है।

(13) *सत्र 2007–2008 से ही निजी व शासकीय महाविद्यालयों में* अन्य पिछड़ा वर्ग के *छात्रों के माता–पिता की वार्षिक आय 75000 रुपये से कम होने पर कॉशन–मनी छोड़कर सरकार की ओर से सम्पूर्ण फीस माफ है व पोस्टमेट्रिक* छात्रवृत्ति की पात्रता है। यह आय सीमा बढ़ाकर अजा–जजा की तरह 3 लाख रुपये वार्षिक की जानी चाहिये। और इस फीस माफी की जानकारी पी.ई.टी., पी.एम.टी., पी.ए.टी इत्यादि के आवेदन पत्रों में व्यापम व्दारा ही मुद्रित की जानी चाहिये। अधिकतर अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों के होनहार छात्र, जानकारी के अभाव में 30,000 रुपये वार्षिक फीस के भय से इंजीनियरिंग, मेडिकल संस्थानों में प्रवेश नहीं लेते।

(14) अन्य पिछड़े वर्गों को प्रदेश में छात्रवृत्तियॉ, चयन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण, स्वरोजगार योजना, सामूहिक विवाह प्रोत्साहन, छात्र गृह योजना, पिछड़ा वर्ग सेवा पुरस्कार, सीधी भरती में उच्चतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, साक्षात्कार के लिये यात्रा व्यय, भूखंड एवं भवनों के आवंटन में आरक्षण, निर्वाचनों में आरक्षण, तकनीकी, चिकित्सा, कृषि महाविद्यालयों इत्यादि के छात्रावासों में 27 प्रतिशत सीटों का आरक्षण, सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूखण्ड, भोपाल में "आई" श्रेणी से "एफ" श्रेणी के आवास आवंटन में 08 प्रतिशत आरक्षण आदि सुविधायें लागू हैं।

(15) आरक्षण इतिहास में, आरक्षण नियमों के उल्लंघन का सबसे सनसनीखेज मामला मध्यप्रदेश पी.एम.टी. का है। वर्ष 1994 में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू होकर नियमानुसार प्रवेश हुए परन्तु वर्ष 2004 से चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश देते समय, "उच्च न्यायालय का झूठा बहाना बनाकर काउन्सलिंग का क्रम चालाकीपूर्वक बदलकर अनारक्षित से पूर्व आरक्षित सीटों की काउन्सलिंग सम्पन्न की जाने लगी और आरक्षित श्रेणी के उन प्रत्याशियों को जिनके प्राप्तांक अनारक्षित श्रेणी के सफल अंतिम प्रत्याशी से अधिक हैं, की गणना अनारक्षित श्रेणी में नहीं की गई। जिससे अन्य पिछड़े वर्गों के एम.बी.बी.एस. में 60, प्री.पी.जी. में 20 व आयुर्वेदिक में 70 छात्रों को प्रति वर्ष कम प्रवेश मिला।

(16) मध्यप्रदेश के 30 जिलों में जिला संवर्ग के पदों की भर्ती हेतु जिलेवार आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों का मिलाकर कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से कम है। अतः इन 30 जिलों में 50 प्रतिशत की संविधानिक सीमा के भीतर ही अन्य पिछड़े वर्गों के 14 प्रतिशत आरक्षण को राज्य सरकार आसानी से बढ़ा सकती है। जैसे इंदौर जिले में अनुसूचित जाति का 17 प्रतिशत, जनजाति का 07 प्रतिशत व अन्य पिछड़ा वर्ग का 14 प्रतिशत तीनों मिलाकर कुल आरक्षण 38 प्रतिशत ही है, जबकि इंदौर जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 62 प्रतिशत है। अतः राज्य सरकार चाहे तो इंदौर जिले हेतु आसानी से अन्य पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत आरक्षण को और 12 प्रतिशत बढ़ाकर 26 प्रतिशत कर सकती है।

(17) अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र छात्रों की निजी महाद्यिालयों की फीस माफी का भुगतान सरकार की ओर से प्रतिपूर्ति के बजाय संबधित महाविद्यालय को काउन्सलिंग स्थल पर ही चेक व्दारा करना चाहिये। बैंक ग्यारंटी भी सरकार व्दारा स्वयं लेना चाहिये।

(18) म.प्र शासन व्दारा जाति प्रमाण पत्र से संबधित प्रत्येक परिपत्र, भोपाल से सीधे तहसीलों में भी भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

अन्य पिछड़ा वर्ग के राज्य क्रीमीलेयर मापदंडों की 55 अनुवाद त्रुटियों में सुधार व पुनरीक्षण, शासन स्तर पर "अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण प्रकोष्ठ" की पृथक से स्थापना, स्थाई जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तहसीलदार व नायब तहसीलदार को भी प्राधिकृत करना, बगैर क्रीमीलेयर प्रमाणीकरण वाला सादा जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश के 14 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर महाजन आयोग की अनुशंसानुसार 35 प्रतिशत करना, कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण, निजी संस्थाओं की नौकरियों में आरक्षण, उच्च न्यायिक सेवाओं में आरक्षण, सामाजिक स्तर उठाने हेतु दिये गये आरक्षण से क्रीमीलेयर मापदंडो को हटाना समय की मॉग है। अन्य पिछड़ा वर्ग के रुप में चिन्हित सदियों से शोषित–पीड़ित इस कर्मवीर समाज के उत्थान एवं विकास हेतु दृढ़ इच्छाशक्ति एवं ईमानदारी से बहुमुखी प्रयास आवश्यक है।

इंजी. ए. पी. पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष–अखिल भारतीय अपाक्स, जी–87, कोटरासुल्तानाबाद, भोपाल, 462003, 9826936538, 07552771372

माता–पिता की वार्षिक आय 75000 रुपये से कम होने पर किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय/निजी महाविद्यालय में सरकार की ओर से ओ.बी.सी. की सम्पूर्ण फीस माफ है साथ ही पोस्टमेट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता है।

वैवाहिक परिचय सम्मेलन और सामुहिक विवाह का आयोजन तथा फिजूल खर्च व मृत्युभोज पर रोक, समय की मॉग है।